82

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा (राज0)

मिसल नं.
11/2017

तारीख दायरा
17.04.2017

तारीख फैसला
18.09.2017

पीठासीन अधिकारी – संजीव कुमार शर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

1– भवानीशंकर पुत्र मॉगीलाल जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
( प्रार्थी )

बनाम

1– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2– राजस्थान राज्य, राजस्थान लेण्ड डवलपमेन्ट कॉरपोरेशान(आर एल डी सी) जरिये सम्भागीय आयुक्त कोटा जिला कोटा
3– राजस्थाान राज्य जरिये तहसीलदार खेत सुधार खण्ड द्वितीय सी.ए.डी. सुल्तानपुर जिला कोटा
4– राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियन्ता खेत सुधार खण्ड द्वितीय सी.ए.डी.सुल्तानपुर जिला कोटा
5– धनराज पुत्र कालू
6– गिर्राज पुत्र कालू
7– राजेन्द्र पुत्र कालू
8– चंदाबाई पुत्री कालू
9– रेखाबाई पुत्री कालू
10– चहान्याा बाई पत्नी कालू
जातियान धाकड निवासीगण दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

( अप्रार्थीगण )

प्रार्थना पत्र अनतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है:–

1– यह कि प्रार्थी ने उपरोक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें कामयाबी हांसिल होने की पूणर्प सम्भावना है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned by CamScanner

2— यह कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. में सेटलमेन्ट से पूर्व जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 में खसरा नम्बर 201 की 9 बीघा 18 बिस्वा ,भूमि खाते में दर्ज थी, उपरोक्त आराजी पर प्रार्थी बहैसियत मालिक खातेदार कृषक काबिज काश्त है। उपरोक्त आराजी के हैक्टर में 1.60 हैक्टर होते है, बाद सेटलमेन्ट उपरोक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 155 रकबा 1.47 है0 पैमूद किये गये जो पुराने रकबेके मुकाबले प्रार्थी के खाते में 0.13 हैक्टर भूमि कम दर्ज कर दी गई जबकि मौके पर 9 बीघा 18 बिस्वा अर्थात 1.60 है0 भूमि पर काबिज है तथा निरन्तर बिना किसी बाधा के 40—50 वर्षो से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

3. यह कि अप्रार्थी क्रम 5लगायत 10 के दादा व दादी ससुर बद्रीलाल पुत्र श्रवणलाल जाति धााकड निवासी दुर्जनपुरा के खाते में सेटलमेन्ट से पूर्व जमाबंदी सम्वत 2031 से 2034 में खाता संख्या 81 में कुल किता 5 रकबा 29 बीघा 11 बिस्वा भूमि थी, जिसके हैक्टर में 4.78 हैक्टर होते है के बाद सेटलमेन्ट उपरोक्त आराजी के नये खसरा नम्बर पैमूद कर कुल किता 4 कुल रकबा 5.31 है0 पैमूद किये गये जो पुराने रकबे से 0.53 हैक्टर अधिक रकबा दर्ज कर दिया गया।

4— यह कि अप्रार्थीगण 5 लगायत 10 के खाते में दर्ज पुराने खसरा नम्बर 210 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा जिसके है0 में 1.24 है0 होते है के नये खसरा नम्बर 187 रकबा 1.78 हैक्टर पैमूद किये गये है जो पुराने रकबे से 0.54 है0 रकबा बेसी दर्ज कर दिया गया है और प्रार्थी का कमी रकबा 0.13 हैक्टर अप्रार्थीगण के खाते की इसी भूमि में बढा दिया गया है जबकि मौके पर अप्रार्थीगण अपने पुराने रकबे 7 बीघा 14 बिस्वा के अनुसार 1.24 है0 आराजी पर ही काबिज काश्त है वह मौके पर 1.78 हैक्टर भूमि पर काबिज काश्त नही है और प्रार्थी मौके पर 9 बीघा 18 बिस्वा अर्थात 1.60 हैक्टर भूमि पर काबिज है और प्रार्थी की 0.13 हैक्टर भूमि कम कर दी है जिसे आगे प्रार्थना पत्र में उपरोक्त आराजी को विवादग्रस्त आराजी कहा गया है।

5— यह कि विवादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 द्वारा भू सुधार का कार्य किया जा रहा है जिसमें भू सुधार करने के बाद वह प्रार्थी व अप्रार्थी को रिकार्ड के अनुसार बााद कटौती भूमि देगे जिससे प्रार्थी को कमी रकबा प्राप्त होगा और अप्रार्थी को अवैध व गैर कानूनी रूप से बढे हुये रकबे के अनुसार काबिज नही है और प्रार्थी मौके पर वर्तमान रिकार्ड से अधिक भूमि जो उसके पुराने खाते में दर्ज भूमि थी, उसके अनुसार काबिज है। इस बाबत प्रार्थी ने अप्रार्थी क्रम 1 से निवेदन किया कि आप प्रार्थी की भूमि को पुराने रकबे के अनुसार दर्ज करे, और उसके कमी रकबे की पूर्ति अप्रार्थी क्रम 5 ता 10 के खाते से करे,तो उन्होने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि न्यायालय में जाकर कार्यवाही करो जैसा अदालत आदेश देगी वैसा हम कर देगे।

6— यह कि सेटलमेन्ट अधिकाारियों द्वारा अवैध व गैर कानूनी तरीके से प्रार्थी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 201 की 9 बीघा 18 बिस्वा जिसके है0 में 1.60 है0 होते है, उसके स्थान पर नये खसरा नम्बर 155 रकबा 1.47 हैक्टर पैमूद किये गये। जबकि उन्हे रकबा 1.47 हैक्टर के स्थान पर 1.60 हैक्टर पैमूद करना चाहिये था, प्रार्थी पुराने रकबे के अनुसार 1.60 है0 पर काबिज है। प्रार्थी का कमी रकबा अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज कर दिया गया। जबकि सेटलमेन्ट अधिकारियों व राजस्व अधिकरियों को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned by CamScanner

नही था और प्रार्थी को यह कानूनी अधिकार हासिंल है कि वह अपनी विवादग्रस्त आराजी को पुराने रकबे के अनुसाार अपने खाते में दर्ज करवाये तथा कमी रकबे की पूर्ति अप्रार्थीगण के खाते से करावे।

7— यह कि केचमेन्ट का कार्य कुछ ही दिनों के पश्चात अप्रार्थी क्र 1 ता 4 मिलकर प्रारम्भ करने वाले है। उनके द्वारा केचमेन्ट कार्य प्रारम्भ करने के बाद प्रार्थी को मौजूदा रिकार्ड अनुसार ही भूमि संभलायेगे, जिससे प्रार्थी को 0.13 है0 भूमि हैक्टर भूमि कम प्राप्त होगी । इस कारण प्रार्थी को यह वाद घोषणा खातेदार व इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत करना पडा है।

8— यह कि प्रार्थी का प्राईमा फेसाई केस है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष में है और अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना सम्भव नही होगा और प्रार्थी को कई अन्य वाद विवादों में उलझना पडेगा तथा अपनी ही भूमि से वंचित हो जायेगा। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व ताफैसला वाद निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ग्राम दुर्जनपुरा की विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 155 की 1.47 हैक्टर में केचमेन्ट होने के बाद उसके लगवा भूमि 0.13 है0 बाद केचमेन्ट सुरक्षित रखी जावे उक्त रकबे की कमी प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 10 के खाते की विवादग्रस्त भूमि ग्राम दुर्जनपुरा की खसरा नम्बर 187 रकबा 1.78 है0 से की जावे तथा सुरक्षित रखी गई 0.13 हैक्टर भूमि पर बाद केचमेन्ट प्रार्थी के कब्जे काश्त में तथा उसके उपयोग एवं उपभोग में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार की मदाखलत व मजहामत नही करे, ऐसा कृत्य अप्रार्थीगण न तो स्वंय करें, और न ही ऐसा कृत्य अपने किसी अन्य प्रतिनिधियों से करावे।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गयेः—

1— नोटिस सहायक अभियन्ता खेत सुधार सीएडी सुल्तानपुर
2— नकल सेटलमेंट दुर्जनपुरा
3— नकल नक्शा ग्राम दुर्जनपुरा
4— नकल जमाबन्दी सं0 2031 से 34 खसरा नम्बर 201
5— नकल जमाबन्दी सं0 2070—73
6— नकल मिलान क्षैत्रफल
7— नकल जमाबन्दी सं0 2031—34 रकबाा 24 बीघा 11 बिस्वा
8— नकल सेटलेट जमाबन्दी रकबा 5.31 है0
9— नकल सेटलमेन्ट रकबा 3.59
10— नकल नक्शा ट्रेस
11— नकल जमाबन्दी सं0 2070—73
12— रजि0 नोटिस 80 सीपीसी
13— शपथ पत्र वादी स्वंय

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्राथी दर्ज रजि0 किया जाकर तलवी अप्रार्थीगण जारी की गई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मनोज शर्मा की एक तरफा बहस सुनी जाकर आगामी तारीख पेशी तक विरूद्व अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। अप्रार्थी क्रम 5 ता 10 की ओर से श्री नन्दकिशोर पारेता एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी क्रम 3 ता 4 ने अपना अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी क्रम 5 ता 10 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ , जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी क्रम 5 ता 10 की ओर से प्रस्तुत जवाब में विशेष कथन किया कि:–

(1) यह कि कथित प्रार्थी ने इसी विवादित विष्यवस्तु को लेकर तहसीलदार पीपल्दा के खिलाफ धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की थी जो खारिज हो चुकी हे। यह कार्यवाही दुबारा तथ्य छुपाकर की है। इसलिए पोषणीय नही है।

(2) यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित है। राजस्व रेकार्ड व मौका स्थिति से मेल नही खाता है। न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरूपयोग है। इस कारण मय हर्जाना खारिज होने योग्य है।

(3) यह कि कथित प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतों के बीच काफी दूरी व अंतर है, इस कारण प्रार्थी के कथित कमी रकबे की पूर्ति अप्रार्थीगण के रकबे से किया जाना तकनीकी रूप से व व्यवहारिक रूप से संभवप नही है। प्रक्रिया संबंधी विधि के प्रावधानों के विपरीत है।

(4) यह कि प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में पैमाईश रिपोर्ट अथवा सीमाज्ञान संबंधी रिपोर्ट पेश नहीं की है। इस कारण प्रार्थी मनगढंत तथ्यों के आधार पर कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

(5) यह कि अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 187 रकबा 1.78 है0 वाके ग्राम दुर्जनपुरा का खेत सुधार खण्ड द्वारा नियमानुसार अधिग्रहण किया गया है, खेत सुधार कार्य व सहायक आपरेशन प्रगति पर है। इस कारण प्श्चातवर्ती आधार पर रेकार्ड व मौका स्थिति में परिवर्तन किया जाना विधि के प्रावधानों के विपरित होने से मान्य नही है।

(6) यह कि अप्रार्थीगण के खेत पुराने खसरा नम्बर 210 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 208 मिन रकबा 5 बीघा वाके ग्राम दुर्जनपुरा का भू–प्रंबध विभाग द्वारा बाद सेटलमेन्ट आपरेश नया ाखसरा नम्बर 187 रकबा 1.78 हैक्टर वाके ग्राम दुर्जनपुरा में कायम किया गया है जिसमें भू–प्रबंध विभाग द्वारा पुराने राजस्व रेकार्ड, नक्शा ट्रेस , मिलान क्षैत्रफल व मौका स्थिति के अनुसार सही एवं सत्य अंकित किया है। भू प्रबंध विभाग द्वारा किया गया अंकन किसी भी तरह त्रुटिपूर्ण , अवेध व अनियमित नही है। इस कारण संशोधन योग्य नही है। विवादित खसरा नम्बर 187 रकबा 1.78 है0, पुराने खसरा नम्बर 210 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा संपूर्ण तथा खसरा नम्बर 208 मिन रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा से आंशिक पूर्ति करते हुये बनाया गया है जिसमें तनिक मात्र की त्रुटि नही है।

(7) यह कि प्रार्थी भवानीशंकर अप्रार्थीगण का पडौसी काश्तकार नही है। प्रार्थी का अप्रार्थीगण के खेतों की भूमि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नही है। इस कारण प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र तथ्यात्मक रूप से ही दोषपूर्ण होने से काबिज खारिनजिये है।

(8) यह कि तहसीलदार पीपल्दा एवं खेत सुधार खण्ड के अभियंताओं द्वारा भी प्रार्थी के कथनों को तथ्यात्मक रूप से खण्डित कर अस्वीकार कर दिया गया है। इस कारण प्रार्थी ,

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण के विरूद्व कोई भी आदेश निषेधाज्ञा अथवा आज्ञात्मक जारी कराने का अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण को प्रार्थी से मानसिक संताप व विद्वेषपूर्ण अभिजयोजन के लिये 20,000/– रू0 हर्जाना दिलाया जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल मिसल हैः–

1– नकल जमाबन्दी भू प्रबंध विभग दुर्जनपुरा
2– नकल जमाबन्दी 2015– 2024 ग्राम दुर्जनपुरा
3– नकल मिलान क्षैत्रफल
4– नकल जमाबन्दी सं0 2070–73
5– नकल नक्शा ट्रेस दो किता

पत्रावली में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्राप्त प्रस्तुत होने पर आज दिनांक 18.09.2017 को बहस उभयपक्ष की सुनी गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराया एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रार्थीगणों का प्रस्तुत प्रार्थना एवं अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के विवेचन से हम यह पाते है कि पृथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नजर नहीं आता है। प्रकरण के विवेचन से अपूरर्णीय क्षति होना भी प्रार्थी के पक्ष में नजर नही आता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जाता है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है , अतः प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 07.07.2017 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

प्रार्थना पत्र में निर्णय आज दिनांक 18.09.2017 को सरे इजलाश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
( संजीव कुमार शर्मा )
इटावा जिला कोर्ट
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner